



eepwdbhowali@rediffmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



पत्रांक 1604/8सी0
सेवा में,

दिनांक 3.09.2024

प्रभागीय वनाधिकारी

नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

विषय-: जनपद नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी (विरसिंग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ-: भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६/८५/२०१६/एफ०सी०/८१४ दिनांक 19.7.2018

महोदय,


उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्राप्त हुई है, जिसकी अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त	अनुपालन आख्या
शर्त स०-१ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.56 है० ग्राम-बबियाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा।	शर्त स०-१ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.56 है० ग्राम-बबियाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 33,92,860.00(वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा कर दी गई है। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे दिनांक 30.07.2024 को राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है।(प्रति संलग्न)
शर्त स०-२ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र स० 6-3/2007 एफ०सी० दिनांक 5.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०बी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त स०-२ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र स० 6-3/2007 एफ०सी० दिनांक 5.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०बी०) की निर्धारित राशि 48,86,973.00 चालन स० SBIN 524107761373 द्वारा जमा कर दिया गया है।(प्रति संलग्न)
शर्त स०-३ शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। का वचन बढता प्रस्तुत की जाए।	शर्त स०-३ शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। का वचन बढता प्रमाण पत्र संलग्न है।
शर्त स०-४ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost.NPV.etc)को बैंब पोर्टल पर Online Generat किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की	शर्त स०-४ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधिया (सी०ए०) को बैंब पोर्टल पर ऑन (CA cost.NPV.etc)को बैंब पोर्टल पर Online Generat किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में चालन स० SBIN 524107761373 दिनांक 15.4.2024 द्वारा जमा कर दिया गया है।(प्रति संलग्न)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)




eepwdbhowali@rediffmail.com




अनुपालन आख्या के रूप में मान्य नहीं होगी	है।(प्रति संलग्न)
शर्त स0-5 सडक निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सभव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Vergw पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantaion की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त स0-5 सडक निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सभव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Vergw पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantaion की जाएगी। का वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तों की अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करे।


अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)


मार्ग का नाम— जनपद नैनीताल मे बगडवार बैण्ड से दूनी (विरसिग्या) मोटर मार्ग
के निर्माण हेतु 3.78 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को
प्रत्यावर्तन।

एन०पी०वी० की दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा
एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का
भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० भवाली


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० भवाली


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० भवाली

मार्ग का नाम— जनपद नैनीताल मे बगडवार बैण्ड से दूनी (विरसिग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न

प्रमाणित किया जाता है कि सडक निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सभव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Vergw पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख मे strip plantaion किया जाएगा।



अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० भवाली



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० भवाली



अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० भवाली

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
भारत इंडिया



Union Bank
of India

एक सार्वजनिक संस्था - A Government of India Undertaking



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-04-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6194800286
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/85/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.W.D. BhowaliNainital
Amount(in Rs)	8279833/-

Amount in Words : Eighty-Two Lakh Seventy-Nine Thousand Eight Hundred and Thirty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194800286 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through even after 7 working days, then kindly mail a copy to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epuubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Temporary Division, P.W.D.
Bhowali (Nainital)



अधिशाली अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी),
निर्माण/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चिन्वालीसौड़/भवाली।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसं०-22, लो०शी०-5054(पूँजीगत) भूमि क्रय/भूमि प्रतिकर भुगतान मद में पुर्नआवंटन/समायोजन।
सन्दर्भ:-

- 1-शासनादेश संख्या- 1/22816/2023 एवं ई०पत्रावली सं० 44130 दिनांक 19.05.2023।
- 2-शासनादेश संख्या- 1/151279/2023 एवं ई०पत्रावली सं० 44130 दिनांक 4.9.2023।
- 3-शासनादेश ई०पत्रावली सं० 44130 दिनांक 6.11.2023।
- 4-शासनादेश संख्या-1/197589/2024 एवं ई०पत्रावली सं०-44130 दिनांक 12.03.2024।
- 5-शासनादेश संख्या- 1/151279/2023 एवं ई०पत्रावली सं० 44130 दिनांक 4.9.2023।
- 6-अधिशाली अभियन्ता, नि०ख०, लो०नि०वि०, चिन्वालीसौड़ का पत्र सं०- 384/बजट समर्पण, दि० 15.03.2024।
- 7-अधिशाली अभियन्ता, अ०ख०, लो०नि०वि०, भवाली का पत्र सं०- 6038/09बजट-हल्दानी/2023, दि० 30.12.2023।

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश (क्रमांक 1 से 5 तक) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054-04-337-03-04-54 (पूँजीगत) एन०पी०वी० का भुगतान/भूमि क्रय मद हेतु विभागीय आय-व्यय में स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष कुल ₹ 105.3065132 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष इस कार्यालय स्तर से सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों को कुल ₹ 105.2645685 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। किन्तु योजनान्तर्गत अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग चिन्वालीसौड़ के कार्य में अच्छी वित्तीय प्रगति न होने तथा अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली के पत्र दिनांक 30.12.2023 के द्वारा योजनान्तर्गत सम्बन्धित कार्यों (क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी०) हेतु कुल ₹ 0.8279833 करोड़ की अतिरिक्त धनवांटन की मांग सूचित कराये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों के मध्य उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निम्नविवरणानुसार ₹ 0.8279833 करोड़ (₹ बयासी लाख उनसी हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) का पुर्नआवंटन/समायोजन इगित शर्तों के अंतर्गत किया जाता है।

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	पूर्व आवंटन	अब आवंटन/समायोजन	योग, आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा प्रताप नगर/टिहरी/घनसाली के अन्तर्गत टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण हेतु नाप भूमि अधिग्रहण कार्य (मार्ग की लम्बाई 234.80 कि०मी०)	निर्माण खण्ड, चिन्वालीसौड़	325.00	- 325.00	0.00
2	जनपद नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी (बिरसिंग्या) मोटर निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन.पी.वी. मद में भुगतान हेतु। (क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹० 33.92860 लाख एवं एन.पी.वी. भुगतान हेतु ₹० 48.86973 लाख)	अस्थाई खण्ड, भवाली	0.00	+ 82.79833	82.79833
	योग		325.00	-242.20167	82.79833

आवंटन की शर्तें:- (1) सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ताओं के द्वारा उक्त आवंटन तालिका के "स्तम्भ- 5 के अनुसार" प्रकरणवार/खण्डवार पुर्नआवंटन धनराशि का भुगतान, सम्बन्धित योजनान्तर्गत एवं निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक दशा में एवं नियमानुसार दिनांक 31/03/2024 से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी दशा में आर्बटित धनराशि न तो लैप्स की जायेगी और न ही सृजित वित्तीय दायित्व अगले वित्तीय वर्ष हेतु अवशेष रखे जायेंगे।

(2) सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता के द्वारा उक्त तालिकानुसार मार्गवार/ खण्डवार आर्बटित धनराशि, पूर्णरूप से नियमानुसार व्यय की जायेगी, किसी भी दशा में आर्बटित धनराशि लैप्स /सर्मापित नहीं की जायेगी। आर्बटित धनराशि पूर्ण रूप से व्यय न किये जाने अर्थात् धनराशि का समर्पण किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के स्तर से कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता के द्वारा उक्त तालिका में वर्णित कार्यों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन.पी.वी. हेतु आर्बटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित प्रमागीय लैगिंग प्रबन्धक वन विकास निगम/क्षेत्रीय प्रबन्धक, वन विकास निगम को भुगतान किये जाने से पूर्व शासन के पत्र संख्या 4717/111 (2)/18-37(सामान्य)/2017 दिनांक 19.09.2018 में निहित प्रकिया एवं तद्विषयक सुसंगत नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता के द्वारा उक्त तालिकानुसार प्रकरणवार/खण्डवार आर्बटित धनराशि का भुगतान वनविभाग के पक्ष में तत्काल न किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता को विलम्ब हेतु उत्तरदायी माना जायेगा तथा आर्बटित धनराशि का भुगतान वनविभाग को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि वनविभाग द्वारा सम्बन्धित प्रकरणों में एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि के भुगतान की माँग संशोधित दरों अर्थात् बढ़ी हुई दरों के आधार पर की जाती है तो संशोधित वृद्धि हेतु सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी माने जायेंगे।

Plc-Attested
[Signature]

[Signature]

[Signature]

(क्रमशः पृष्ठ सं०-2 पर)

(5) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा खण्डवार आबंटन से अधिक का व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा तालिका में सम्मिलित मार्गों के स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा पथ वृक्षारोपण आदि हेतु पूर्व मानकों के अनुसार यदि वित्तीय प्राविधान सम्मिलित हो तो मूल आगणन में एन0पी0वी0 आदि हेतु प्राविधानित धनराशि पूर्णतः बचत की जायेगी इसे अन्यत्र मदों में व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता स्वयं ही उत्तरदायी मानें जायेंगे।

(6) यदि उक्त तालिका में वर्णित प्रकरणों में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण भुगतान तथा पथ वृक्षारोपण भुगतान आदि हेतु आबंटित धनराशि वनविभाग के पक्ष में पूर्व में जमा की जा चुकी हो तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित प्रकरणों में पुर्नभुगतान, ड्रुलीकेट भुगतान, नियमविरुद्ध भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा इस कार्यालय द्वारा मार्गवार/प्रकरणवार आबंटित धनराशि सम्पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अर्न्तगत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय, ताकि यह धनराशि अन्य प्रकरणों/खण्डों को आबंटित की जा सके।

(7) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(8) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों (क्रमांक 1 से 5 तक) में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़के, 337-सड़क निर्माण कार्य, 03-राज्य सेक्टर, 04-एन.पी.वी. का भुगतान, 54- भूमि क्रय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न:- (1) अलोटमेन्ट आई0डी0 (01 पृष्ठ)

(इं० दीपक कुमार यादव)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता (नियोजन), कार्या0 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
7. मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, (नियोजन-11), कार्या0 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
8. मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।

संलग्न:- अलोटमेन्ट आई0डी0 (01 पृष्ठ)
H24030220424

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

PK Attested
AKM
RE

सरकार
परिवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
नालय
राष्ट्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
5 सुभाष रोड, देहरादून-248001
संख्या: 0135-2650800
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

त्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/८५/२०१६/एफ०सी०/८५१२,

दिनांक: 13/07/2018

वा मे

अपर सचिव (वन)
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड देहरादून।

विषय: जनपद - नैनीताल में बगडवार ब्रेण्ड से दूनी (विरसिंग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 473/X-4-16/1(138)/2016 दिनांक 26.05.2016

होदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/9480/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र क्र. आर/नैनीताल/वन/१०००/२०१६ का कष्ट करे, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-१ में जहाँ स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में गूची घाट पर स्थित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद - नैनीताल में बगडवार ब्रेण्ड से दूनी (विरसिंग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.60 है० ग्राम - बबियाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा। साथ ही आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंभव) जमा की जायेगी। जहाँ वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विभाग को प्रत्यावर्तित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तराखण्ड शासन को पत्र संख्या 0-1/2007-एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (परमोबि) की निधिगत राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में आशय की जाती है, जो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाएं। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will upload correct employment generation details in online Part-I at para-E

P/c Attached
Date: 13/07/18
ME



बबियाड़

परतना

ध्यानी री

तहसील

उद्घरण खतौली N.Z.A. (अंशभाग)

धारी

नैनीताल

पं.सं.की सं. 1

क्र.सं.	खानदान का नाम व पिता का नाम व निवासी स्थान	भौतिक अधिकारी आरम्भ होने का वर्ष	बं. सं. की प्रयोग मा. की संख्या संख्या	संयोजक रीप्रेजेंट	प्रमाणित द्वारा संय. मालगुजारी या नाम	परिवहन सम्बन्धी अंशभाग का योग, इसकी संख्या तथा दिनांक प्राप्त देने वाले अधिकारी को रजिस्टार कार्यालय द्वारा सापेक्षित रूप					विवरण
						सं. पान	सं. पान	सं. पान	सं. पान	सं. पान	
1			3	4	5	7	8	9	10	11	13
47	जंगलझाड़ी *		356 357 358	17-827 15-166 3-577							<p>श्रीमती-9(3)ख-2 जितने अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ियां, लाकी घास इत्यादि हैं:-</p> <p>श्रीमान निताधिकारी नैनीताल के कार्यालय पत्र सं. 15/12-2023-2024 दिनांक 12 जुलाई 2024 के पारित आदेश में किल विभाग कुलपतिवृत्त आरम्भ के आदेश सं. III/XXVII/11/2012-12(120) दिनांक 9-07-2012, आदेश सं. 1887/XXVII(1)/2015, दिनांक 30-07-2015 तथा इस निताधिकारी धारी (नैनीताल) की आरम्भकार जनपद नैनीताल में बगइचर बेंड से डूनी-पिरसिया मोर मार्ग के निर्माण इन वृक्ष बबियाड़ के N2A खतौली सं. 47 के खेत सं. 2896 संख्या 27 नं. के अर्थ को वृ. विभाग नैनीताल के प्रशासनिक नियन्त्रण में निवारित करती/करावकी के अर्हान् अर्हान्तहि/नामान्तरित की जाते हैं। परवाना उपलब्धता है दिनांक 23-07-2024</p> <p><i>Rajendra Choudhary</i> RSE Babiyad 30/07/2024</p>
			2831	5-402							
			2896	3-465							
			2897	1-585							
			2898	2-981							
			4228	0-116							
			4263	29-830							
			4735	3-072							
			योग	27	229-150						

मंडीय,

NZA खतौली नकल सुताबिक असल के तैयार करवायी की।

Rajendra Choudhary
RSE Babiyad
30/07/2024

बबियाड़

परतमा

धरानी री

नरधाम

उद्धारण स्वतंत्री N.Z.A. (अंशभाग)

धारी

जिला

नैनीताल

पं०

कामची के सं०

कामची सं०

क्र. सं.	आवेदन का नाम व पिता का नाम व निवास स्थान	भूमि अधिकारी का नाम	काम का प्रकार	क्षेत्रफल हेक्टेयर	आवेदन प्राप्त का दिनांक	आवेदन का प्रकार						विवरण
						सं. फसली	सं. फसली	सं. फसली	सं. फसली	सं. फसली	सं. फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	बंजर *											
				16	0-019							
				91	0-133							
				141	0-056							
				159	0-197							
				98003A	0-149							
				2801 म	0-778							
				2802	3-506							
				2803	1-019							
				4432	0-381							
				5221								
				5163	0-025							
				5225								
				योग 508/3	192-280							

श्रेणी- 9(3) ड. कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि -

अभिमान निहाय अधिकारी नैनीताल के कार्यालय पत्र सं० 05/12-3330 एवं सं० 2022-24 दि० 12 जुलाई 2024 के पारित आदेश में पित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं० 111/XXVII/11/2012-18(120) दिनांक 09-07-2012, शासनदेश सं० 1987/XXVIII (11) 2015, दिनांक 30-07-2015 तथा उपजिलाधिकारी धारी की आस्था नुसार जनपद नैनीताल में बंजर क्षेत्र से जमी-विरसिगमा गैर मांग के निर्माण हेतु आदि बबियाड़ के N.Z.A. ब्लाक सं० 48 के खेत नं० 2801 म. संख्या 0770 हे. व. क्षेत्र नं० 2802 रकबा 3-506 हे. कुल 4-284 हे. भूमि से वन विभाग नैनीताल के पुरालिखित निकाश में एकमुक्त बंजरपत्र हेतु निहायलि बली/विशेष के अधीन हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है। परतमा उपखण्ड दर्ज किया, सं० संकाय 23-07-2024

Nishu Choudhary
RSE Babriyad
30/07/2024

वसुधा देवी / 30/07/24

30/07/24


महोदय,

N.Z.A. स्वतंत्री नकल मुताबिक जख्त के तैयार कर जारी की

30/07/2024
RSE Choudhary
RSE Babriyad
30/07/2024

ग्राम - काबिगाड

2801



2896

